PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Mon, 19 Jun 2017, Page 13
Width: 25.98 cms, Height: 17.76 cms, a4r, Ref: 35.2017-06-19.88

उड़ान-2 में न्यूनतम दूरी हटेगी!

नई दिल्ली | एजेंसियां

सस्ती हवाई यात्रा वाली सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के दूसरे चरण में न्यूनतम दूरी की व्यवस्था और एकाधिकार को समाप्त करने के साथ कई बदलावों की संभावना है, लेकिन इसमें भी एक इंजन वाले हेलिकॉप्टरों को अनुमति मिलने की संभावना नहीं है।

सरकार इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक दूसरे चरण के लिए निविदा शर्तों को अंतिम रूप देकर बोली प्रक्रिया शुरू करेगी, जबकि एक इंजन वाले हेलिकॉप्टरों का वाणिज्यिक उड़ानों के लिए इस्तेमाल का मामला कम से दो-तीन महीने के लिए अटक गया है। नागर विमानन मंत्रालय की

वर्तमान व्यवस्था

- 151 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की दूरी इसके दायरे में
- एकाधिकार की व्यवस्था भी हटाए जाने की उम्मीद है

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विमानों के मामले में न्यूनतम दूरी की सीमा हटाए जाने के विमान सेवा कंपनियों के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है। फिलहाल 151 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की दूरी वाले रूट ही आरसीएस का हिस्सा हैं। न्यूनतम सीमा हटा देने से छोटी से छोटी दूरी वाले रूटों को भी शामिल किया जा सकेगा।

अधिकारी ने कहा कि एकाधिकार की व्यवस्था भी समाप्त की जा सकती है। हालांकि, वीजीएफ के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा अन्य लाभ सिर्फ उसी एयरलाइंस को दिए जाएंगे जिसने बोली प्रक्रिया में रूट का आवंटन प्राप्त किया है। पहले चरण में रूटों का आवंटन प्राप्त करने वाली एयरलाइंस को तीन साल का एकाधिकार दिया गया है।

एक इंजन वाले हेलिकॉप्टरों के बारे में उन्होंने बताया कि 7 जून को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों की बैठक हुई थी। डीजीसीए संरक्षा कारणों से एक इंजन वाले हेलिकॉप्टरों के वाणिज्यिक उड़ानों में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे रहा है। वहीं, हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों का कहना है कि ये पूरी तरह सुरक्षित हैं।